P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

श्रमिक महिलाऐं एंव उनकी सुरक्षा की समस्या

चित्रा मीना
सहायक प्राध्यापक,
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ, अलवर, राजस्थान,
भारत

चंचल मीना
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान,
महिला महाविद्यालय,
आँधी, जमवा, रामगढ़,
जयपुर, राजस्थान,
भारत

सारांश

महिलाओं का प्रत्येक समाज मे एक सुनिश्चित स्थान होता है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति के आधार पर महिलाओं की परिस्थिति का मूल्यांकन और मूलरूप से उनके अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की यथास्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया जाता है। समाज मे लैंगिक असमानता के आधार पर उनके श्रम, श्रमशक्ति तथा श्रममूल्य का निर्धारण किया जाता है। महिलाओं की इस समस्या तथा समान अधिकार दिलाने के प्रयासो का विश्लेषण इस शोध में किया हैं।

मुख्य शब्द : श्रममूल्य, श्रमिक महिलाएं, लैंगिक विभेद, असमानता।

प्रस्तावना

मानवशास्त्रीय एंव ऐतिहासिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार लिंग को माना हैं। तथ्य यह है कि लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन के पीछे कोई प्राकृतिक या जैविक असमानताऐ नहीं हैं बल्कि इसकी जड में विचार धारात्मक मान्यताऐ होती हैं। इसलिए औरत को शारीरिक रूप से कमजोर और भारी शारीरिक श्रम के लिए अनुपयुक्त माना जाता हैं। मगर किसी औरत को उसकी शारीरिक शक्ति एंव कोमलता उसे भारी कृषि संबंधी कार्य या अन्य शारीरिक श्रम के कार्यों से मुक्ति तो नहीं दिला देती। प्राचीन समय से ही श्रम के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव या असमानता व्याप्त रही हैं। वैश्विक परिदृश्य में श्रमिक महिलायें ऐतिहासिक परिस्थिति, परम्परावादी समाज, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों और समाज के कार्यों में अधिक भागिदारी के बावजूद उचित स्तर पर सम्मान से वंचित रही हैं।

श्रमिक महिलाओं के कानून

स्वतंत्र भारत में महिला श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एंव श्रेष्ठ जीवन यापन की दशाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक अधिकार प्रदत्त हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, अनु. 15 (3) अनु. 16, अनु. 24, अनु. 39 अनु. 41, अनु. 42 में श्रमिक महिलाओं के अधिकारों की संस्थापना हेतु विभिन्न उपबंध किये गये हैं। इसके अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण कानूनों के तहत श्रमिक महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं जैसे– समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, खान अधिनियम 1952 इत्यादि। भारत में श्रमिक महिलाओं के अधिकारों की व्यापक संरचना के बावजूद उनके कियान्वयन में सफल नही हुए। अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करे तो– अल्प आयु में विवाह, लिगांनुपात में असंतुलन, शैक्षणिक पिछडापन, विविध सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव व महिलाओं के प्रति अपराध जैसी चुनौतियां बाधक हैं। वहीं आर्थिक क्षेत्र में श्रम कानूनों के बारे में जानकारी का अभाव, प्रभावी कियान्वयव का अभाव, देह शोषण की समस्या, रोजगार के अवसरों एंव संसाधन वितरण में पक्षपात तथा असमानता एंव शोषण का शिकार होने जैसी चुनौतियां महिला श्रमिको के अधिकारों के उल्लघंन की स्थिति को और सहज बनाती हैं।

ये बात सत्य हैं कि संसार रूपी गाडी को चलाने के लिए स्त्री–पुरूष रूपी दोनों ही पहियों की जरूरत पडती हैं, किसी एक के अभाव मे एक कदम भी आगे बढ पाना सम्भव नही हैं। कृषि के साथ–साथ भारतीय समाज के अन्य आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ रही हैं, जिसने श्रम बाजार की आंतरिक संरचना को आंदोलित किया हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम, श्रममूल्य और श्रमिकों की उपादेयता सिद्ध हो चुकी हैं। महिला श्रमिक मानवीय समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वाह होता हैं और आर्थिक संरचना की निर्माण प्रक्रिया प्रस्फुटित होती हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिलाओं का प्रत्येक समाज में एक सुनिश्चित स्थान होता हैं। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों का समाजिक, आर्थिक परिस्थिति के आधार पर महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन उनके अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की यथास्थिति पर प्रश्नचिह्न लगा देता हैं। अगर एक महिला निर्माण कार्य में अपने पति के साथ काम करती है तो उसका वेतन भी उसके पति को मिल जाता है, चाहे उसका पति उस पैसे की शराब ही क्यो ना पी जाये। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007 में महिला श्रमिको को, श्रमिक ही नहीं माना गया है। जबकि असंगठित क्षेत्रों मे महिला कामगारों की संख्या पुरूषों की तुलना मे ज्यादा हैं। अकेले राजस्थान मे यह संख्या लगभग दो लाख सात हजार के आसपास हैं।

महिलाओं की श्रम भागीदारी

आधुनिक विकासशील राष्ट्रों में मूलतः एशिया के कुछ अविकसित राष्ट्रों में महिला श्रमशक्ति धीरे–धीरे औद्योगिक विकास के सम्वाहकों में देखी जाने लगी हैं। फिर भी पुरूषों की अपेक्षा महिला श्रम की सहभागिता इन राष्ट्रों से काफी कम हैं। घर हो या देश, दोनो को चलाने के लिए वर्तमान दौर में भारत सरकार महिलाओं को आगे लाना चाहती हैं। इसी बात का पुख्ता सबूत है कि आज सरकार कामकाजी महिलाओ को चाहे वह सरकारी दफ्तर में कार्यरत है, या फिर प्राइवेट सैक्टर पुरूष कर्मचारियों की तरह रात्रि कालीन पारियों में भी काम करे। सवाल यह है कि सरकार की यह मंसा कैसे जाग्रत हुई? शायद विश्व के अन्य देश से तुलना करे तो हमारी महिला श्रमशक्ति अथवा कार्यशक्ति बहुत कम हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2001 में 25.63 प्रतिशत 1991 में 22.27 प्रतिशत और 1981 में 19.67 प्रतिशत की वृद्वि हैं। जहां महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि रही है, वहीं यह पुरूष श्रम भागीदारी दर की तुलना मे लगातार उल्लेखनीय रूप से कम होती जा रही हैं। कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी का अनुपात के मामले भारत ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका) में सबसे नीचे हैं। यहां तक की हम नाइजीरिया, सोमालिया और मलेशिया जैसे कमजोर देशों से भी महिला कार्यशक्ति के मामले में पीछे हैं। नेपाल में पुरूष श्रम सहभागिता दर 1981 की जनगणना के अनुसार 58.2 प्रतिशत तथा महिलाओं की 32.4 प्रतिशत थी, जबकि चीन में यह प्रतिशत क्रमशः 57.3 प्रतिशत और 42.7 प्रतिशत था। हांगकांग में 1986 की जनगणना से यह स्पष्ट होता है कि कुल श्रमशक्ति में पुरूषों और महिलाओं की सहभागिता दर क्रमशः 61.9 प्रतिशत और 39.1 प्रतिशत थी। महिलाओं की श्रमशक्ति में सहभागिता दर सामान्यतः सभी एशियाई देशों में पुरूषों की अपेक्षा कम ही हैं तो दूसरी ओर पुरूषों की दर में समरूपता हैं। वस्तुतः पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में महिलाओं में श्रम सहभागिता दर दक्षिण एशिया की तुलना में अधिक हैं।

एक तरफ तो भारत मे महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो दूसरी ओर ग्रामीण भारत मे महिला श्रमिकों का संख्या मे लगातार कमी देखी जा सकती है। महिला श्रमिको की संख्या मे कमी होने से खेती पर इसका असर देखने को मिल रहा हैं। नीति आयोग ने अपनी रिर्पोट मे पाया की ग्रामीण इलाको मे पुरूषों के मुकाबले महिलाएं तेजी से श्रम से दूर होती जा रही हैं। रिर्पोट के अनुसार साल 2004–05 से लेकर 2012–13 के बीच 3 करोड 33 लाख श्रमिकों में से (81प्रतिशत) 2 करोड 70 लाख महिलाओं ने काम छोडा जबकि इस दौरान केवल (19 प्रतिशत) छह लाख पुरूषों ने काम छोडा।

भारत मे कार्य प्रतिभागिता दर की प्रवृतिः–पुरूष एंव महिला
(प्रतिशत में)

चरण	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1993–1994	54.4	28.4	55.3	32.8	52.1	15.5
1999–2000	52.7	25.4	53.1	29.9	51.8	13.9
2004–2005	54.7	28.2	54.6	32.7	54.9	16.6
2007–2008	55.0	24.6	54.8	28.9	55.4	13.8
2009–2010	54.6	22.5	54.7	26.1	54.3	13.8
2011–2012	54.4	21.7	54.3	24.8	54.6	14.7

स्रोत– राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण एन.एस.एस. विभिन्न चरण 1993–2012

उपर्युक्त तालिका को देखने के बाद यह साफ जाहिर होता है कि 1993–94 से लेकर 2011–12 तक पुरूषों की कार्य प्रतिभागिता लगभग स्थिर सी है, उसमे आंशिक अन्तर देखने को मिलता है। वही महिलाओं की कार्य प्रतिभागिता मे लगातार कम होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यह गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही हैं। 1999–2000 तथा 2004–05 की अवधी के दौरान काफी सुधार दिखाई देता है, जबकि सिर्फ 2004–05 के दौरान 3 प्रतिशत की वृद्वि हुई। तब से इस दिशा में लगातार कमी आई है।

श्रमिक महिलाओ की सुरक्षा का मुद्दा

देश के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 29 प्रतिशत ही हैं। इसकी आधों से भी ज्यादा हिस्सेदारी कृषि कार्य से जुडी हुई महिलाओं की हैं। परन्तु वर्तमान दौर में बढते औद्योगीकरण एंव बदलते हुए पर्यावरण परिवेश के कारण कृषि कार्य में लगी महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, उनमे बेरोजगारी घर कर रही हैं और साथ ही महिला कार्यशक्ति में भी कमी हो रही हैं। इसे शहरी क्षेत्र में नौकरियों और रोजगार में इनकी भागीदारी बढकर कर

संतुलित करना चाहिए, मगर हमसे हो नही रहा। इसके प्रमुख कारणों मे से एक है महिला सुरक्षा ऐसा कोई दिन नही जाता, महिलाओं के साथ बदसलूकी की हरकत सामने नही आती हैं। राजधानी दिल्ली हो या कोई राज्य, शहर हो या फिर को दूर का गांव, सभी जगह छोटी–छोटी बच्चियां से लेकर बुजुग्र महिलाओं के साथ छेडछाड और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। जब डेढ साल की मासूम बच्ची तक से चालीस साल का आदमी दुष्कर्म कर रहा हैं तो महिलाऐं कहां सुरक्षित है, वो रात की पाली मे कैसे काम कर सकती हैं? बहुत शर्म और क्षोभ की बात यह हैं कि ऐसे गुनाहगारो की बढती हुई संख्या के बाद भी चिन्ता हकिगत मे मुखर नही हों रही हैं। सत्ताधीश पर्दा डाल रहे है और जनता के कथित सेवक इतने संवेदनहीन हो चुके है कि उनके अपने इलाके में घटित ऐसे शर्मनाक हादसे के उपरान्त, घटना की जानकारी नही है, कहते हुए नजर आते है तथा आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। अलवर जिले के टपूकडा क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पिछले माह दिल्ली के गांधी नगर इलाके मे एक डेढ साल की बच्ची को अधेड व्यक्ति उठा ले गया और उसके साथ बहुत निर्ममता से दुष्कर्म का डाला। मासूम के माता पिता क्योकि मजदूर थे इसलिए किसी ने उनकी नही सुनी। इसी तरह लखनऊ में तीन साल की लडकी से 16 साल का लडका अपनी हवस का शिकार बनाता है और जब लडकी के मां–बाप मौके पे उसको पकड भी लेते है पर लडके का पिता अपने रूतबे और धोहस के चलते पीडिता के मां–बाप की पिटाई कर देते हैं। इसी तरह आगरा में लावारिस बच्चों की संस्था में काम करने वाला कर्मचारी ही वहा रह रही 2 नाबालिग बच्चियों से न केवल खुद ज्यादती करता है बल्कि उनकी अश्लील सीडी बनाकर ओर लोगो से भी उनका देह शोषण करवाता हैं। अलीगढ में एक 16 साल का लडका एक मात्र नौ माह की लडकी से दुष्कर्म कर के बहुत ही नृर्मम तरिके से उसकी हत्या कर देता हैं। ये तमाम ऐसी घटनाऐ है जो इस बात का सबूत है कि महिलाये कही भी सुरक्षित नही हैं। तो रात की पालियों में महिलाऐं अपने आपको कैसे सुरक्षित महसूस करें, वो कैसे रात के समय काम कर सकती हैं?

वृहत औद्योगिक प्रभागों मे कामगाारों का वितरण 1999 से 2011–12 तक

उधोग	1999–00		2004–05		2011–12	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
कृषि	52.7	75.4	48.6	72.8	42.5	62.2
खनन एंव उत्खनन	0.7	0.3	0.7	0.3	0.6	0.3
उत्पादन	11.5	9.5	12.4	11.3	12.6	13.4
बिजली गैस एंव जलापूर्ति	0.4	00	0.4	00	0.4	00
निर्माण	5.8	1.6	7.6	1.8	12.4	06.0
सेवाऐं	28.8	13.2	30.6	13.7	31.5	18.3
कुल	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत– रोजगार एंव बेरोगारी रिर्पोट, विभिन्न चरण, एन.एस.एस.ओ.

उपयुक्त वृहत औद्योगिक आंकडों को स्पष्ट है कि महिलाऐं सबसे ज्यादा कृषि कार्य मे संलग्न है वही बिजली गैस एंव जलापूर्ति से औद्योगिक क्षेत्रों मे इनकी भागीदारी शून्य प्रतिशत है। जबकि सेवाऐं तथा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में महिला सहभागिता मे कमी ही सही परन्तु वृद्वि देखने को मिल रही।

इसके लिए सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 में संशोधन हेतु एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया हैं। हांलाकि इसमे और भी कई संशोधन किए गये है। लेकिन यहां हमारा सरोकार सिर्फ श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हैं। इसके मुताबिक कामकाजी महिलाओं के नन्हें शिशुओं के लिए फैक्ट्री के अहाते में विश्रामगृह की व्यवस्था कारखाने और कम्पनियों मे करें। साथ ही वे महिला कर्मचारी के लिए रात की पाली मे काम करने का माहौल पैदा करे। विधेयक मे प्रावधान है कि यदि कंपनी चाहती है कि महिलाऐं नाइट शिफ्ट में काम करे तो, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने होगे। यह देश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्पादकता में वृद्धि के नजरिये से क्रांतिकारी हैं, पर माहौल सुरक्षा के प्रबंध और समाज की मानसिकता जैसे पहलुओं के मद्देनजर यह काम काफी मुश्किल हैं। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर फैक्ट्रियों और बडें शहरों में कंप्यूटर, प्रबंधन और मीडिया से जुडी कंपनियों में से कुछ में ही महिलाऐं रात्रि कालीन पालियों में काम करती नजर आती हैं। आज तो इससे संबंधित कानूनों मे ही महिलाओं से रात आठ से प्रातः सात बजे के बीच काम लेने की अनुमती नही हैं। जैसे– राजधानी दिल्ली के शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 में प्रावधान है कि व्यावसायिक परिसर में महिला कर्मचारियों से सुबह सात से रात आठ बजे तक काम लिया जा सकता है। दिल्ली में कुछ बडे होटल समूहों को इसमें छूट दी गई थी, लेकिन बिगडती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर हुए यौन हमलो की घटनाओं के मद्देनजर वहां भी यह छूट हटाई जा चुकी हैं। इसी तरह 2005 में फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन करके आईटी और टैक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनियों में महिलाओं को रात में सीमित अवधि तक काम करने की छूट अवश्य दी गई थी, लेकिन अब भी ऐसी अधिकतर कंपनियों में रात में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बेहद कम हैं।

कामकाजी महिलाओं की नाइट शिफ्ट से जुडा पहला सवाल उनकी सुरक्षा का हैं। महिलाओं के साथ पिछले कुछ वर्षों में जैसी घटनाऐ देश में घटित हो रही हैं, उन्हें देखते हुए किसी भी कारखाने में अथवा किसी भी

कम्पनी में देर तक महिलाओं का रूकना, खतरे से खाली नही लगता हैं। बीते कुछ वर्षों में इस बारे में जो सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें महिलाओं का असुरक्षा बोध और उन पर पड रहे दबाव खुलकर उजागर हुए हैं। जैसे दिल्ली में गैंग रेप की बेहद अफसोस जनक घटना के बाद आर्थिक संस्था एसोचौम ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में 2013 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र मे करीब 2500 महिलाओं, आईटी, बीपीओ कम्पनियों में काम करने वाली लडकियों के साथ ही मुम्बई, कोलकत्ता, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और देहरादून में एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह था कि दिल्ली हादसे के बाद महिलाऐं और लडकियां पहले के मुकाबले खुद को अब ज्यादा असुरक्षित मानने लगी हैं। रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं में असुरक्षा एंव डर के भाव ज्यादा पाये गये और इसकी वजह से उन्होने अपनी लगी लगाई नौकरी को छोडने की तक बात कह डाली। दिल्ली और इसके इर्द गिर्द बीपीओ, आईटी, सिविल एविएषन, नर्सिग एंव हॉस्पटिलिटी आदि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं में 92 प्रतिशत नाइट शिफ्ट में काम नही करना चाहती हैं। नर्सिग जैसे क्षेत्र में जहां महिलाओं को दिन–रात की परवाह किये बिना काम करना पडता हैं, वहां भी करीब 83 प्रतिशत महिलाऐं रात के समय काम नही करना चाहती हैं। खुद को रात की पाली मे असुरक्षित महसूस करती हैं। इनमें से 62 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि वे बेहतर वेतन के लिए रात की शिफ्ट में काम करती हैं। लेकिन उन्होने ये भी स्वीकार किया कि छेडछाड और यौन उत्पीडन जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अब उनकी सुरक्षा का सवाल हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नही हो सकता। बेंगलुरू में भी 85 प्रतिशत महिलाऐं रात की पाली में काम करते हुए खुद को असुरक्षित मानती हैं तो वही कोलकत्ता में भी महिलाऐं रात की पाली में काम नही करना चाहती हैं।हैं।

महिलाओं के कैरियर (नौकरी या व्यवसाय) से जुडे मुद्दे में सुरक्षा के अलावा पारिवारिक सामाजिक दबावों की भी गिनती होती हैं। एक तरफ उन्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र रहती हैं, वही दूसरी तरफ नौकरी के साथ–साथ गृहस्थी सम्भालने की भी चिन्ता रहती हैं। "मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकंजी एंड कंपनी" ने चार साल पहले जुलाई 2012 में किये गये अपने सर्वेक्षण की रिर्पोट में कहा था कि नौकरी और गृहस्थी का दोहरा भार कॉरपोरेट जगत में सबसे बडी अड़चन हैं। इसी डबल शिफ्ट के कारण ही भारत में अधिकतर महिलाएं नौकरी छोड़ देती है जब वे करियर के मध्य में होती हैं और शिर्श पदों पर उनकी पंहुचने की सम्भावना बनी रहती होती हैं। भारत, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर आदि देशों की महिलाओं के बीच कराऐ गये इस सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि ज्यादातर एशियाई कंपनियां महिलाओं की सुरक्षा व नौकरी– गृहस्थी के दायित्वों में सामंजस्य बिठाने मे कोई मदद इसलिए नही चाहती हैं क्योंकि नौकरी मे महीलाओं की संख्या बढाना उनके अजेंडे में ही नही हैं। ज्यादातर कंपनियों के वरिष्ठ प्रबधंकों की राय के मुताबिक महिलाओं को लेकर इन हालात में फिल्महाल में कोई तब्दीली होने की उम्मीद नही हैं। साफ है कि एक तरफ कंपनियां महिलाओं को ऊचें पदों पर ले जाने के लिए कोई मदद नही करना चाहती हैं और दूसरी तरफ समाज भी मददगार साबित नहीं हो रहा हैं। नाइट शिफ्ट के सम्बन्ध में सरकार का प्रयास यूं कामकाजी महिलाओं के पक्ष में लगता हैं, पर सच यह हैं कि ज्यादातर कम्पनियो की कार्यशैली महिलाओं के अनुकूल इसलिए नही होती हैं क्योंकि उन्हें सरकार या समाज ने वो सोशल इंजीनियरिंग अपनाने को प्रेरित नहीं किया हैं। जिसमें दुनिया की आधी आबादी की जरूरतों के हिसाब से माहौल बनाया जाता हैं। समाज की आम प्रति क्रिया भी इस बारे में निराषा बढ़ने वाली होती हैं। संगठित क्षेत्रों मे जो महिला कारखानों मे काम करती है उनके लिए न तो अलग से टायलेट की व्यवस्था है और न ही उनके बच्चो को रखने के कोई व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण महिला कामगारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पडता हैं।

हमारी सामाजिक परम्पराएं भी कामकाजी महिलाओं की राह में किसी रोडे से कम नही है। पुरूष जब काम करके वापस घर लौटता हैं तो उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती हैं, उसे घर की व्यवस्था नहीं सम्भालनी पडती हैं लेकिन जब एक श्रमिक महिला पूरे दिन हाड़–तोड़ मेहनत करने के बाद घर लौटती हैतो उसे अपनी घरेलू भूमिकाओं को भी निभाना पडता हैं। घर में उसे पत्नी, मां और बहु के कर्तव्य पूरी संजीदगी से निभाने पडते हैं। श्रमिक महिला अपनी कामकाजी और घरेलू भूमिकाओं का निर्वाह करते–करते टूटने के कगार तक भी पंहुच जाती हैं। परम्परागत पुरूष–प्रधान माहौल में उसके लिए कोई संवेदना नजर नही आती हैं।

श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुझाव

1. जिस फैक्ट्री मे महिला काम कर रही है, वहाँ शिकायत करने की व्यवस्था हो तथा उस पर सुनवाई के लिए उचित समयबद्ध तरीके से निराकरण करने की व्यवस्था हो।
2. महिला श्रमिकों को मिलने वाला वेतन, स्वयं महिला को ही दिया जाये ना की उसके पति, भाई अथवा पिता को।
3. समय समय पर महिला कर्मचारियों को संवैधानिक कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाये, ताकि वह अपने अधिकारो के प्रति सचेत रह सके।
4. महिला श्रमिको के लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था की जाये।
5. अगर महिला श्रमिक रात की पाली मे काम कर रही है तो उन्हें घर से आने जाने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड युक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाये तथा प्रत्येक परिवहन वाहन मे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो।
6. महिला श्रमिकों को माहवारी की अवधि में एक अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी दी जाये।
7. ये जांच तथा काम करते समय चोट लगने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाये।

निष्कर्ष

आज भारतीय श्रमिक महिलाओं की सबसे बडी विडंबना यही है, दिन भर पति, बच्चों, परिवार, समाज के हाथों की कठपुतली की तरह नाचने के बाद रात की पाली में बहुत विपरीत माहौल में काम करने को मजबूर महिलाओं को अंधेरे से नही डर लगता हैं, बल्कि सुरक्षा व शारीरिक छेडछाड का ख्याल सताता हैं। विडंबना यह है कि ये सारी मुष्किलें आज से दस साल पहले भी उनके सामने थी और आज भी है। आज 21वी सदी का करीब डेढ दशक से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी देश और समाज दोनो में ही महिलाओं की स्थिति को को मजबूत करने के प्रति सशक्त मंशा नही दिख रही हैं। शायद इस सबके पीछे हमारे पुरूष प्रधान समाज का डर यह हो सकता है कि यदि महिलाएं सच में पुरूषों से आगे निकल गई तो उनका और उनकी सत्ता का क्या होगा ? वो वर्षों से जिस सत्ता को अपना एकाधिकार समझते आये है, अगर वो उनसे छिन गई तो वो क्या करेगे? परन्तु आज के युग मे भारतीय समाज मे उत्पन्न इस भेदभाव को खत्म करना बहुत जरूरी है और महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर हक और अधिकार देना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

नीता एन (2014) महिला रोजगार की दिशा में संकटः सामाजिक समूहों के मध्य विश्लेषण।

इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खंड 50।

जनसत्ता– (7 मई 2017) आधी आबादी असंगठित क्षेत्र में महिलाऐं।

रवि प्रकाश यादव, रागिनी दीप, पूजा राय, (2010) भारत मे महिला श्रमिक, एटलाप्टिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

इग्नूः (2017) श्रमः महिला श्रमिक, यूनिट 11, नई दिल्ली।

जनसत्ता– (2 दिसम्बर 2016) महिला कामगारों को कम वेतन क्यों, अंजलि सिन्हा।

योजनाः (अप्रैल 2017) पेज न. 21–24।

www.iniaspendhindi.com महिलाओं के लिए रोजगारः क्या भारत सोमालिया से भी बदतर है, 14 मई 2015।